शा0सं0–1563/010–4–7 ई0एस0–79 लखनऊ : दिनांक: अक्टूबर 1-11-90

प्रेषक,

बी0के0 चतुर्वेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–4530–11–265–1946 दिनांक 1–2–1947 का सन्दर्भ लें जिसमें इस आशय के आदेश निर्गत किये गये थे कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों अध्यक्ष एवं सचिव दो पदाधिकारियों को, विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि 14 दिन रखी गयी थी, के संबंध में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि शासन के विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त विशेष आकस्मिक अवकाश की सीमा अवधि बढ़ाकर पदाधिकारियों के लिए 30 दिन की जाती है तथा पदाधिकारियों को उक्त अवधि में कार्य पर उपस्थित मानकर अवकाश स्वीकृत किया जाये।

भवदीय,
(बी0के0 चतुर्वेदी)
सचिव

शा0सं0–1563/010–4–7 ई0एस0–79 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1- शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- राज्य संयुक्त परामर्श संगठन के समस्त सदस्य।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(पी0के0 पाण्डेय)
उप सचिव कार्मिक

Scanned by CamScanner

Scanned with Oken Scanner